दिनांक—07 / 02 / 2024

सेवा में,

संकायाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष / प्रभारी
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर

एवं

प्राचार्य / प्राचार्या
राजकीय / अनुदानित / स्ववित्तपोषित
सम्बद्ध महाविद्यालय, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर

महोदय,

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर परिसर तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों में सम्पन्न विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं की उत्तर—पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 17 / 01 / 2024 से विश्वविद्यालय परिसर स्थित कला संकाय भवन में प्रारम्भ है।

समस्त सम्बन्धित से अनुरोध है कि अपने संकाय / विभाग / संस्थान के निम्नलिखित विषय के शिक्षकों को मूल्यांकन कार्य हेतु सूचित कर मूल्यांकन केन्द्र पर भेजने का कष्ट करें। साथ ही संलग्न दिशा—निर्देश का अवलोकन करते हुए सम्बन्धित शिक्षकगण को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सम्बन्धित शिक्षकों से आग्रह है कि संलग्न दिशा—निर्देश के अनुसार अपने समस्त प्रपत्र अनिवार्यतः साथ लाएं।

मूल्यांकन प्रारम्भ की तिथि	विषय	कक्षा
09 / 02 / 2024	भूगोल	स्नातक / स्नातकोत्तर

समस्त शिक्षकों से आग्रह है कि मूल्यांकन के दिन ही विश्वविद्यालय परिसर में उपस्थित होने का कष्ट करें। मूल्यांकन केन्द्र से प्रमाणित प्रपत्र पर ही ठहरने के लिए छात्रावास/अतिथिगृह में व्यवस्था सम्भव है।

भवदीय

डॉ0 अविनाश प्रताप सिंह
(मूल्यांकन समन्वयक)
कला संकाय?

मूल्यांकन 2023–24

उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन हेतु परीक्षकों के लिए दिशा–निर्देश एवं आग्रह

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय परिसर में समस्त परीक्षकगण का हार्दिक स्वागत है।

1. परीक्षक बनने हेतु विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालयों से अनुमोदन के उपरान्त न्यूनतम तीन वर्ष का सतत अध्यापन अनुभव अनुमन्य होगा।

2. परीक्षकों के लिए सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निर्गत अद्यतन अनुभव प्रमाण–पत्र की मूल प्रति जमा करनी होगी। स्ववित्तपोषित महाविद्यालय के शिक्षक के लिए अनुभव प्रमाण–पत्र पर परीक्षक की पासपोर्ट साइज फोटो प्राचार्य द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए तथा अनुभव प्रमाण–पत्र पर प्राचार्य का पूरा नाम व मोबाइल नम्बर अंकित होना चाहिए।

3. कुलसचिव द्वारा निर्गत अनुमोदन प्रपत्र की छायाप्रति सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। अनुमोदन प्रपत्र पर अंकित विवरण स्पष्ट रूप से पठनीय होना चाहिए।

4. आवश्यक होने पर अनुमोदन प्रपत्र सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

5. न्यूनतम 6 माह का सतत् माहवार (Monthly) अद्यतन सैलरी स्टेटमेन्ट प्रपत्र जमा करना होगा। साथ में अपडेटेड बैंक पासबुक दिखाना होगा। बैंक पासबुक में सैलरी क्रेडिट स्पष्ट उल्लिखित होना चाहिए।

6. आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की छायाप्रति जमा करनी होगी तथा मूलप्रति साथ में रखें।

7. किसी विषय/प्रश्न पत्र में उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या कम होने की स्थिति में मूल्यांकन हेतु सिद्धार्थ विश्वविद्यालय और उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों को वरियता दी जायेगी।

8. प्रत्येक विषय/प्रश्नपत्र में उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या के अनुसार मूल्यांकन समन्वयक परीक्षकों की संख्या का निर्धारण कर आवश्यकतानुसार परीक्षकों को सूचना देंगे।

9. सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों को प्रत्येक विषय/प्रश्नपत्र के मूल्यांकन की तिथि की सूचना महाविद्यालय के लॉगिन आईडी पर कम से कम दो दिन पूर्व प्रेषित करने का प्रयास किया जायेगा। उक्त क्रम में मूल्यांकन की सूचना अपने महाविद्यालय के प्राचार्य से प्राप्त करें।

10. सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अन्य विश्वविद्यालय के परीक्षक मूल्यांकन समन्वयक द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा मूल्यांकन समन्वयन द्वारा पाठ्यक्रम समिति के संयोजक के माध्यम से बुलाने अथवा सूचना देने पर ही आयेंगे। उपरोक्त के अनुसार बगैर बुलाए आने पर उन्हें मूल्यांकन हेतु उत्तर पुस्तिका देना सम्भव नहीं होगा। कोई भी परीक्षक अपने स्तर पर किसी दूसरे प्राध्यापक/परीक्षक को मूल्यांकन हेतु न बुलाए।

11. किसी विषय/प्रश्नपत्र के मूल्यांकन के पहले दिन समय से उपस्थित होने पर अधिकतम 75 उत्तर पुस्तिकाएं तथा अगले दिन से 100 उत्तर पुस्तिकाएं दिये जाने का सामान्यतः व्यवस्था होगी।
12. प्रत्येक दिन मूल्यांकन गतिविधि प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे के मध्य सम्पन्न होगी। 50 उत्तर पुस्तिका 1:00–1:30 बजे के मध्य तथा अन्तिम 50 उत्तर पुस्तिका 4:00–4:30 बजे के मध्य परीक्षक द्वारा जमा किया जायेगा।

13. समस्त परीक्षकों से विशेष आग्रह है कि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अत्यन्त ही एकाग्रता के साथ करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर मूल्यांकन समन्वयक के पास उपलब्ध पंजिका में उसका विवरण अंकित कर अपना हस्ताक्षर करें। एक से अधिक बार या गम्भीर त्रुटि होने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से मूल्यांकन कार्य से रोका जा सकता है तथा इसकी सूचना परीक्षा नियन्त्रक कार्यालय को भेज दी जायेगी।

14. मूल्यांकन करते समय प्रत्येक पृष्ठ पर परीक्षक द्वारा लाल पेन से ही चेक (✓) करने का निशान अंकित करना होगा। परीक्षक द्वारा प्रत्येक प्रश्न के अन्त में अंक अकित किया जायेगा। दिए गए अंक पूर्णतः पठनीय होने चाहिए।

15. यदि किसी उत्तरपुस्तिका में विद्यार्थी द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक प्रश्न का उत्तर दिया गया है तो उक्त उत्तर पर अंक के स्थान पर अतिरिक्त (Extra) अंकित करना होगा।

16. यदि परीक्षक को लगता है कि प्रश्न का उत्तर पूर्णतः गलत है इसे शून्य अंक प्राप्त होगा तो उसे काटने (X)के स्थान पर शून्य अंक दिया जायेगा और उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ के निर्धारित स्थान पर शून्य अंक को भी अंकित करना होगा।

17. यदि किसी प्रश्न का उत्तर A B C D E में है तो प्रथम पृष्ठ पर उसी रूप में A B C D E के कॉलम में अलग–अलग अंक भी अंकित करना होगा।

18. OMR सीट को परीक्षक द्वारा बहुत सावधानी से भरा जाए। उत्तर पुस्तिका के प्रत्येक बारकोड (डमी नम्बर) को मिलाकर अंक स्पष्ट रूप में अंक अंकित करें। गोला करते समय भी बहुत सावधानी बरतें। दो से अधिक बार OMR भरने में गलती होने पर परीक्षक को मूल्यांकन कार्य से रोका जा सकता है। OMR पर गोला काले बॉल पेन से ही करेगे, मार्कर पूर्णतः वर्जित है। व्हाइटनर का प्रयोग कहीं भी कदापि नहीं किया जायेगा।

19. प्रतिदिन एलॉटमेन्ट पंजिका में अपना हस्ताक्षर करके ही उत्तर पुस्तिका का बन्डल जाँचें। प्राप्त उत्तर पुस्तिका का OMR से मिलान करने के उपरान्त ही पैकेट खोलें। मूल्यांकन के उपरान्त पैकेट जमा करते समय भी प्रतिदिन एलॉटमेन्ट पंजिका पर निर्धारित स्थान पर भी हस्ताक्षर करेंगे।

20. उत्तर पुस्तिकाओं को जमा करते समय प्रत्येक उत्तर पुसितका का OMR से मिलान कर ही जमा किया जायेगा। मूल्यांकन के उपरान्त प्रत्येक पैकैट पर मूल्यांकित लिखकर अपना नाम, हस्ताक्षर, परीक्षक संख्या तथा दिनांक लिखना होगा।

21. परीक्षकों के लिए तथागत अतिथि गृह तथा महिला परीक्षक के लिए यशोधरा महिला छात्रावास में ठहरने की व्यवस्था होगी। नियमानुसार निर्धारित शुल्क देय होगा। बहुत आवश्यक होने पर पुरुष परीक्षकों के लिए आनन्द छात्रावास में सीमित व्यवस्था है। इन स्थानों पर उपलब्ध सीट भर जाने पर परीक्षकों को अपने रहने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। इस समय ठण्ड अधिक है, अतः इस हेतु ठण्ड से बचाव को दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त व्यवस्था भी स्वयं साथ लायें।

22. यदि किसी उत्तरपुस्तिका पर अनुक्रमांक/मोबाइल नम्बर/पहचान हेतु कोई चिन्ह, चित्र अथवा निशान बना होने पर परीक्षक द्वारा मूल्यांकन समन्वयक को तत्काल सूचित करना होगा।

23. मूल्यांकन के समय किसी प्रकार की शिकायत/सुझाव इत्यादि के लिए मूल्यांकन समन्वयक से सम्पर्क कर सकते हैं।

मूल्यांकन समन्वयक
कला संकाय
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर